



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2007/चैत्र 26, 1929

No. 189]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2007/CHAITRA 26, 1929

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 295(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा नियम, 2005, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा नियम, 2005 की अनुसूची 2 के भाग-क में कनिष्ठ काल चैतनमानसे संबंधित क्रम सं. 5 के स्तंभ (3) में मद (i) और (ii) में "पद" शब्द के स्थान पर "रिक्त" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/4/1997-प्रशा.-1]

आर. सी. अरोड़ा, अव्वर सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 243(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए और उसका शुद्धिपत्र सा.का.नि. 425(अ) तारीख 24 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2007

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005, namely :-

- (1) These Rules may be called the Central Power Engineering (Group "A") Service (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005, in Schedule II, in Part-A, at serial number 5 relating to Junior Time Scale, in column (3), in items (i) and (ii), for the word "posts", the word "vacancies" shall be substituted.

[F. No. A-12018/4/1997-Adm. I]

R. C. ARORA, Under Secy.

Footnote :- The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 243(E) dated the 21st April, 2005 and corrigendum thereto was published vide number G.S.R. 425 (E) dated the 24th June, 2005.